न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

01.अपील संख्या 35/17 निर्णय दिनांकः– 27-11-25
(जीसीएमएस संख्या 2017/00382)

1. धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बरसलपुर, तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. रामकरण पुत्र श्री पुरखाराम जाति जाट निवासी गुसाईना, तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य ।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 20–03–2017
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत।

उपस्थितिः–
1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री प्रहलाद जाखड, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

02.अपील संख्या 39/17 निर्णय दिनांकः– 27-11-25
(जीसीएमएस संख्या 2017/00387)

1. धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बरसलपुर, तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. पुरखाराम पुत्र श्री पेमाराम जाति जाट निवासी गुसाईना, तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य ।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 20–03–2017
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री प्रहलाद जाखड, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपीले उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 20–03–2017 जिसके द्वारा अपीलांट की पूर्व में चली आ रही गैर खातेदारी भूमि का विशिष्ट आवंटन किया गया के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। उक्त दोनो अपीलो में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने के कारण दोनो का निर्णय एक ही निर्णय में किया जाना उचित समझते है। प्रति दोनो पत्रावलियों मे प्रथक से शामिल कर दी जायेगी।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट के दादा श्री पृथ्वीसिंह पुत्र श्री बन्नेसिंह के नाम से वाके रोही ग्राम छिला कश्मीर में गैर खातेदारी भूमि चली आ रही है जो कि रिकॉर्ड अराजी दर्ज कर ली गई। जो चंकबंदी के पश्चात् चक डीओबीबीए के मुरब्बा नंबर 77/9 के किला नंबर 8 ता 12, 20 ता 25 में 10.5 बीघा कमाण्ड व किला नंबर 6, 7, 13 ता 19 में 9 बीघा अनकमाण्ड एवं मुरबा नंबर 77/10 के किला नंबर 1 ता 6, 8 ता 20, 23 ता 25 में 22 बीघा कमाण्ड व किला नंबर 21, 22 में 2 बीघा अनकमण्ड भूमी पैमूद है। जिस पर अपीलांट आदिनांक तक काबिज काश्त करता रहा है तथा जिसका एक व।द न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत के समक्ष जैरकार है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका रिपोर्ट मंगवाये उक्त भूमि मे से रेस्पोडेंट संख्या 1 को चक 21 डीओबीबी ए के मुरबा नंबर 77/9 के किला नंबर 6, 7, 13 ता 19 में 9 बीघा अनकमाण्ड, किला नंबर 8 ता 12, 20 ता 25 में तादादी 10.5 बीघा कमाण्ड भूमि का विधि विरूद्ध जाकर विशिष्ट आवंटन कर भारी विधिक भूल की है। अपीलांट जैर अराजी पर पीढियों से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेसपोडेंट संख्या 1 को प्रथम आवंटन दिनांक 25–09–2007 को किया गया आवंटन अनुसार आवंटन कर लगाकर 20 प्रतिशत राशि जमा कराई गई है जबकि मुताबिक नियम हर वर्ष नियमानुसार बढोतरी कर आवंटन दर लगाकर जिस समय आवंटन किया जाता ह। उस समय की राशि लगाकर आवंटन करने का नियम है जो कि प्रत्येक गजट में लिखा होता हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 को भेजा फायदा पहुचाने के गर्ज से पूर्व आवंटन अनुसार राशि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

लगाकर आवंटन कर दिया गया जिससे कि सरकार राजस्व हानि भी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध जाकर आवंटन आदेश पारित कर भारी भूल की है। अतः आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून, न्याय होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे अपनी बहस को जारी रखते हुए मियाद के बिन्दू पर कथन किया कि जैर अपील आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की गैर हाजरी में बिना किसी सूचना व सुनवाई के एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। प्रार्थी अधीनस्थ तहसील हाजा में किसी अन्य कार्य से गया हुआ था तब श्रीमान पटवारी हलका द्वारा आदेश अधीनस्थ न्यायालय का बताने पर ज्ञात हुआ जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 02–05–2017 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो बाद तैयारी नकल दिनांक 04–05–2017 को नकल प्राप्त हुई फिर प्रार्थी ने अधिवक्ता की फीस की व्यवस्था कर अपील पेश की अतः सूचना के दिन से अपील अन्दर मियाद समझा जावे। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या 01 को आवंटन के समय गजट का रकबा था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत तरीके से आवंटन किया गया जो सही एवं उचित है। रेस्पोडेंट संख्या 01 को आज भी मौके पर काबिज होकर कब्जा काश्त करते आ रहे है। आवंटन नियमों के अनुसार समस्त राजस्व राशि जमा करवा दी गई है। अपीलांट का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अपील में दिये गये सभी तथ्य मिथ्या है उनका कोई रिकॉर्ड तथ्य पत्रावली पर नहीं है। अपील लोकस स्टेण्डाई नहीं रखता है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने आगे अपनी बहस में कथन किया अपील पूर्ण रूपेण मियाद बाहर होने के कारण भी खारिज योग्य है अभिभाषक अपीलांट ने अपने मियाद प्रार्थना–पत्र में किसी भी प्रकार उचित तथ्य नहीं बताया है जिससे कि अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जा सके। अतः अपील मियाद बिन्दू पर ही खारिज योग्य है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–03–2017 के विरूद्ध अपील दिनांक 18–05–2017 को पेश करते हुए अपील के साथ मियाद प्रार्थना पत्र पेश करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार करने की मांग की गई है। इसके विपरित अपीलांट रेस्पोडेंट व राजकीय अभिभाषक ने अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमाई जाने का निवेदन किया है। चूंकी न्याय का सिद्धांत है कि जहां दोनो पक्षकार न्यायालय में उपस्थित आ जाते है तो मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनातें हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझा जाता है हस्तगत प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा नरम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रूख अपनाते हुए अभिभाषक अपीलांट के प्रार्थना पत्र अर्न्तगत मियाद अधिनयम मय शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपीलांट् की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

प्रकरण में अपीलांट ने अपील इस आधार पर पेश कि है कि अपीलांट के दादा के नाम से उक्त वादग्रस्त भूमि गैर खातेदारी भूमि चली आ रही है जिसका रेस्पोडेंट संख्या 01 को विधि विरूद्ध विशेष आवंटन कर दिया गया है। उक्त आधार के समर्थन में अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहॉ तक रेस्पोडेंट को वादग्रस्त भूमि के आवंटन का प्रश्न है, इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का आवंटन दिनांक 20–03–2017 को किया जाकर 20 प्रतिशत राशि खजानाराज में जमा करवाने के बाद दिनांक 31–03–2017 को आवंटन पट्टा जारी किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय हाजा के ध्यान में आया कि उपरोक्त कार्यवाही से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित पटवारी हल्का से वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकॉर्ड की रिपोर्ट मंगवाई गई। दिनांक 25–11–2016 को पटवारी हल्का द्वारा उक्त के संबंध में मौके एवं रिकॉर्ड की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में दी गई जिसमें उक्त वादग्रस्त भूमि को अराजी राज भूमी बताया गया है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होने एवं गजट में प्रकाशित होने के आधार पर आराजी जैर के बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बतौर विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण प्रकिया को अपनाते हुए आराजी जैर भूमि चक 21 डीओबीबी ए के मुरबा नंबर 77/9 के किला नंबर 6, 7, 13 ता 19 में 9 बीघा अनकमाण्ड, किला नंबर 8 ता 12, 20 ता 25 में तादादी 10.5 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को दिनांक 20–03–2017 किया गया तथा दिनांक 23–03–2017 को आवंटित भूमि के लिए खजानाराज में जमा करवाये गये 20 प्रतिशत राशि समायोजन करने के पश्चात् दिनांक 31–03–2017 को वादग्रस्त भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को आवंटन आदेश जारी किया गया था।

प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के बाबत् रेस्पोडेंट संख्या 01 ने आवंटन के बाबत् 20 प्रतिशत राशि जमा करवाने के बाद आवंटन आदेश जारी किया गया है। राशि जमा करवाते हुए अपने अधिकारों को सुरक्षित किया जा चुका है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को आवंटन अधिकारी द्वारा तमाम प्रकिया पूर्ण करने के उपरान्त आराजी जैर का आवंटन किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भी निर्धारित राशि की 20 प्रतिशत राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का आवंटन दिनांक 20–03–2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27-11-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर